

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 100 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 201-202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जयपुर- 302020

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. पूरण सिंह पुत्र किशन सिंह शेखावत, जाति राजपूत, निवासी गोपीनाथपुरा, ग्राम पंचायत चक, पंचायत समिति दातारामगढ़, जिला सीकर
2. दीप कंवर पत्नि रूघनश्याम सिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं. 7, गोपीनाथपुरा, पोस्ट चक, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर
3. कपिल पुत्र मदनलाल, निवासी वार्ड नम्बर 13, खाचरियावास, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर

-अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक:- 02 दिसम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विजय सिंह तंवर द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः पूरण सिंह पुत्र किशन सिंह शेखावत, दीप कंवर पत्नि रूघनश्याम सिंह एवं कपिल पुत्र मदनलाल की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी पूरण सिंह पुत्र किशन सिंह शेखावत के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा संख्या 61, बुक संख्या 169, दिनांक 07.12.2021, संकल्प संख्या 2, ग्राम पंचायत चक,




(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 315.72 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में कन्हैयालाल पुत्र बंशीधर दरोगा का मकान, पश्चिम दिशा में स्वयं का बाड़ा, उत्तर दिशा में स्वयं का बाड़ा एवं दक्षिण दिशा में चौक एवं आम रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 5,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये पांच लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 07.08.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः पूरण सिंह पुत्र किशन सिंह शेखावत, दीप कंवर पत्नि रुघनश्याम सिंह एवं कपिल पुत्र मदनलाल की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी पूरण सिंह पुत्र




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

किशन सिंह शेखावत के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा संख्या 61, बुक संख्या 169, दिनांक 07.12.2021, संकल्प संख्या 2, ग्राम पंचायत चक, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 315.72 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में कन्हैयालाल पुत्र बंशीधर दसोगा का मकान, पश्चिम दिशा में स्वयं का बाड़ा, उत्तर दिशा में स्वयं का बाड़ा एवं दक्षिण दिशा में चौक एवं आम रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर